

2024/116

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	44/24	11/3/2024	01/5/24 JMD	15/4/2024

अनवान

श्री ~~बाबुलाल 5/6 श्री प्रभु जाली हाकड~~

श्री ~~गोकल 5/6 मोला जाली हाकड~~

निवासी ~~गणेशपुरा तह. बिजौलिया~~

निवासी ~~गणेशपुरा तह. बिजौलिया~~

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री ~~बनप्रयाग हाकड~~

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां





बाबुलाल

बनाम

जोकल

फिरस मुकदमा - 111-128

नम्बर 44 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/3 / 2024	<p>प्रार्थना पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 15/4/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां </p>	
15/4/24	<p>पत्रावली पत्र हुए। उपखण्ड वकील/प्रतिपक्ष उपस्थित श्रीमान P.O. का दौरा पर है। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते उचित मोर्चा हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
23/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकारता प्राप्ति उपरिष्ठ विपक्षीयों को बाद तामील प्राप्त हुई, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीयों बाद- खूना अनुपस्थित। पत्रावली में छ- पक्षीय कार्यवाही के मोर्चा पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 01/05/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा </p>	
01/05/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकारता प्राप्ति उपरिष्ठ। पत्रावली में मोर्चा/निर्णय पारित किया गया। खे तखीलधर बिजौलिया को पाल्पा के लिए लिखा गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, नम्बर खे वम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 11/03/24

प्रकरण संख्या :- 44/24

बाबुलाल पुत्र श्री प्रभु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज0)प्रार्थी

बनाम

1. गोकल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोडुराम पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. भूरालाल पुत्र भवाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. रमेश पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शंकरलाल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. मोहनलाल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 01/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 97 पर अंकित आराजी संख्या 341 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 42 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, आराजी संख्या 623/43 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी संख्या 626/46 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 रकबा 0.8498 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमावन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि की बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 44/24

तारीख दायर 11/03/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 44 / 2024 पत्थरगढ़ी वावत् ।

बाबुलाल पुत्र श्री प्रभु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. गोकल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोडुराम पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. भूरालाल पुत्र भवाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. रमेश पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शंकरलाल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. मोहनलाल पुत्र नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 97 पर अंकित आराजी संख्या 341 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 42 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, आराजी संख्या 623/43 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी संख्या 626/46 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.8498 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ